JALAUN POLICE

दिनांक – 18.09.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत कालपी बस स्टैण्ड के पास झगडा कर 02 मोटरसाइकिलों में आग लगाने व समाज में भय व्याप्त करना इत्यादि घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध रा0सु0का0 (N.S.A) की कार्यवाही की गयी।

कोतवाली उरई पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.2025 को कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत कालपी बस स्टैण्ड के पास स्थित शताब्दी बस कार्यालय पर अभियुक्तगण द्वारा झगडा कर 02 मोटरसाइकिलों में आग लगाने व समाज में भय व्याप्त करने इत्यादि की घटना कारित की गयी थी। उक्त संलिप्त अभियुक्तगणो 1. माजिद खान पुत्र स्व0 गफ्फार खान उम्र करीब 50 वर्ष 2. शादाब खान पुत्र स्व0 गफ्फार खान उम्र करीब 39 वर्ष 3. मकसूद वेग पुत्र मकबूल बेग उम्र करीब 39 वर्ष निवासीगण मुहल्ला गणेशगंज कोतवाली उरई जनपद जालौन को उनके साथियो के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 516/2025 धारा 74/115(2)/324(4)/309(4)/191(2)/351(2)/308(2) बीएनएस व 7 CL एक्ट पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था। अभियुक्तगणो के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश व भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हुई थी।

अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में कालपी रोड स्थित सरकारी जमीन पर शताब्दी टूरिस्ट बस कार्यालय अवैध रूप से कब्जा कर संचालित होने की जानकारी होने पर प्रशासन व पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए करीब 20 लाख रूपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है तथा जेल रोड के पीछे नामित अभि0 शादाब व माजिद के अवैध फार्म हाऊस पर (गेट, चौहद्दी) अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई व चार पहिया वाहन डस्टर व एक बुलेट मोटरसाइकिल को लावारिस हालत में जब्त करते हुए अभि0गणों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी थी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका।

अभि0गण वर्तमान में जिला कारागार उरई में निरुद्ध हैं। अभि0गण जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत है। N.S.A अधिरोपित किये जाने के फलस्वरुण अभि0गणो को अग्रिम एक वर्ष तक के लिये निरुद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।

जिलाधिकारी महोदय जनपद जालौन द्वारा दिनांक 17.09.2025 कोतवाली उरई क्षेत्र की लोक व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियो पर अंकुश लगाने हेतु अभि0गण 1. माजिद खान पुत्र स्व0 गफ्फार खान उम्र करीब 50 वर्ष 2. शादाब खान पुत्र स्व0 गफ्फार खान उम्र करीब 39 वर्ष 3. मकसूद वेग पुत्र मकबूल बेग उम्र करीब 39 वर्ष के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। उक्त घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त कार्यवाही से जनमानस मे पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियो के मध्य कडा सन्देश प्रेषित हुआ है।